न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–47 / 2022

वादी	बनाम	प्रतिवादी
मांगाराम पुत्र दलाराम जाति पीटल (पटेल) निवासी कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर व जिला बाड़मेर		1.सोनाराम पुत्र दलाराम जाति पीटल (पटेल) निवासी कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर 2.शाखा प्रबंधक,भारतीय स्टेट बैंक शाखा कल्याणपुर जिला बाडमेर 3.राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक–16.02.2023

संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा कल्याणपुर पटवार हल्का कल्याणपुर,भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर में खेत खसरा संख्या 439,666 / 104,722 / 124 ,668 / 104, 724 / 124 कुल क्षैत्रफल 22.7272 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वाद दिनांक 29.09.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर त[illegible]लदा[illegible]याणपुर को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मि[illegible] [illegible]स्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा [illegible]क प्राथमिक

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.24 20:42:21 IST
Reason: SelfAttested

के अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे दोनो पक्षो द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा कल्याणपुर पटवार हल्का कल्याणपुर,भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर में खेत खसरा संख्या 439,666/104,722/124 ,668/104, 724/124, कुल क्षेत्रफल 22.7272 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म भूमि	लगान	बरंग
1	मांगाराम पुत्र दलाराम कौम पटेल सा. देह खातेदार	कल्याणपुर	722/124 724/124 666/104 439	0.4856 1.0684 7.79425 1.6916	बा.अ. बा.अ. बा.अ. बा.अ. +	0.75 1.65 12.01 2.60	हरा
	योग	–	4	11.0398	–	17.01	हरा
2	सोनाराम पुत्र दलाराम कौम पटेल सा. देह खातेदार	कल्याणपुर	668/104 666/104 724/124 439	0.0324 7.79425 2.1691 1.6916	बा.अ. बा.अ. बा.अ. बा.अ. +	0.05 12.00 3.34 2.61	आसमानी
	योग	–	4	11.68735	–	18.00	आसमानी

तहसीलदार,कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 16.02.2023 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.24 20:42:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा